

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 सितम्बर 2014—आश्विन 7, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 12-32-2013-पच्चीस-4.—राज्य शासन एतद्द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य निगरानी समिति का गठन निम्नानुसार संरचना के साथ करता है:—

1.	मुख्यमंत्री अथवा नामांकित मंत्री	अध्यक्ष
2.	अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री	सदस्य
3.	अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग	सदस्य
4.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	अनुसूचित जाति वर्ग के राज्य विधान सभा के दो सदस्य	सदस्य
6.	पुलिस महानिदेशक	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य
10.	आयुक्त, नगर निगम (कोई भी एक)	सदस्य
11.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (कोई भी एक)	सदस्य
12.	कैंटोनमेंट बोर्ड का अधिकारी	सदस्य

13.	रेल्वे विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
14.	हाथ से मैला उठाने के कर्मियों के प्रतिबंध और पुनर्वास के लिए कार्य करने वाले संगठन से संबद्ध अधिकतम चार सामाजिक कार्यकर्ता, अथवा राज्य में निवासरत् सफाईकर्मी समुदाय से संबंधित प्रतिनिधि जिनमें से 2 महिला हों।	सदस्य
15.	राज्य प्रमुख, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
16.	प्रमुख सचिव/सचिव अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सदस्य सचिव
17.	अन्य विभागों और अभिकरण जो इस अधिनियम के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकते हैं।	सदस्य

2. इस समिति के निम्न कार्य होंगे:—

1. अधिनियम और इसके तहत बनाये गये नियम के प्रावधानों का उचित विधि से पालन सुनिश्चित करने के लिए सलाह देना या कार्यवाही प्रस्तावित करना.
2. सभी संबंधित एजेन्सियों के मध्य समन्वय करना.
3. इस अधिनियम से संबंधित उत्पन्न परिस्थितियों पर कार्य करना तथा निर्देश देना.

3. समिति अधिनियम के क्रियान्वयन का पालन प्रतिवेदन नियत रूप से भारत सरकार को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिन्द्र राव, अवर सचिव.